न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 19/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/227

प्रार्थी		अप्रार्थी
राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।	बनाम	नन्दाराम पुत्र ज्ञानाराम, जाति जाट निवासी भकरी मौलास तहसील परबतसर हाल निवासी ग्राम लाछडी तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:–आदेश–:

दिनांक : 21.04.2025

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वकिल अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप्त में निम्न प्रकार है:–

1. ग्राम भकरी मौलास तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित खासरा नम्बर 225 रकबा 111.00 बीघा किस्म गै.मु. नदी मिसल बन्दोबस्त संवत 2006 में दर्ज रही है।
2. मिसल बन्दोबस्त संवत 2006 से संवत 2030 तक उक्त भूमि की किस्म गै.मु. नदी दर्ज रही है।
3. उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा आदेश संख्या 501 दिनांक 30.04.1974 के अनुसार ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 225 रकबा 111.00 बीघा किस्म गै.मु. नदी में से 25.00 बीघा भूमि नन्दाराम पुत्र श्री ज्ञाानाराम जाति जाट निवासी लाछड़ी तहसील लाडनूं के नाम नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 04.06.1974 द्वारा गैर खातेदारी दर्ज की गयी।
4. श्री नन्दाराम पुत्र श्री ज्ञानाराम द्वारा खातेदारी होने पर खसरा नम्बर 225/4 रकबा 25.00 बीघा किस्म बारानी–2 की खातेदारी श्री नन्दाराम पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी भकरी मौलास के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 623 दिनांक 02.01.1989
5. वर्तमान संवत 2064 ग्राम भकरी मौलास के खसरा नम्बर 225/4 रकबा 25.00 बीघा पर अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार काबिज है।
6. राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार जल–स्त्रोत से सम्बन्धित किस्म यथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, और पायतन आदि भूमियों का आंवटन अपवर्जित है।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

7. विद्वान उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा राजस्व कानूनों में आंवटन से अपवर्जित भूमि का आंवटन क्षेत्राधिकार से परे है, जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध है। इस प्रकार के आंवटन, नियमन एवं आदेश से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है।
8. विद्वान उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के उक्त आदेश से दर्ज नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

अतः माननीय राज. उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के पैरा संख्या 01 से 04 की पालना अन्तर्गत राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर एवं जिला कलक्टर, नागौर के निर्देशानुसार श्रीमान् के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधि विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा किये गये आदेश से स्वीकृत विधि विरूद्ध नामान्तरकरण को सेट असाईड कर पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने को आदेश प्रदान फरमावें।

बहस सुनी गई। राजपैरोकार का कथन है कि विवादित भूमि गै0मु0 नदी की दर्ज सुदा भूमि रही है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावें तथा अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गै.मु. नदी दर्ज की जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड खतोनी ग्राम भकरी संवत 2006 के अनुसार ख0नं0 225 रकबा 111.00 बीघा किस्त गै0मु0 नदी दर्ज है। जो जल स्त्रोत भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई खातेदारी अवैध है तथा निरस्त योग्य है।

रेफरेन्स माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर की डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में पेश किया गया है। जिसमें समय सीमा एवं उजरात मान्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आवंटन आदेश संख्या 501 दिनांक 30.04.1974 एवं पालना में भरे गये ग्राम भकरी मौलास नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 04.06.1974 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किये गये व नामान्तरण संख्या 623 दिनांक 02.01.1989 के द्वारा गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये गये उक्त तीनों आदेशों को निरस्त कर उक्त भुमि पुनः राजकीय गै0मु0 नदी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

निर्णय आज दिनांक **21.04.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

(पुखराज सेन IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन